

8

C

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सख्या-3/नि0सं0-21/2026- 374(3) /स्वा0, पटना, दिनांक : 29.04.2026

डा0 अपर्णा शर्मा, वरीय चिकित्सा पदाधिकारी (कार्यरत सहायक क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट), पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना का दिनांक 01.05.2026 से 30.04.2027 तक कुल-365 दिनों का उपभोग की जानेवाली अवकाश को वित्त विभागीय पत्रांक 9889 दिनांक 01.12.2015 एवं वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापाक 896(25) दिनांक 27.04.2026 द्वारा निर्गत अवकाश आदेयता के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है । उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा0 शर्मा के पक्ष में 365 (तीन सौ पैंसठ) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है ।

02 प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह0/-

(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक: 374(3) /स्वा0, पटना, दिनांक : 29.04.2026
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


प्रतिलिपि: अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: डा0 अपर्णा शर्मा, वरीय चिकित्सा पदाधिकारी (कार्यरत सहायक क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट), पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,7,8,9 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


विशेष कार्य पदाधिकारी